न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 36/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

रतनलाल आत्मज हरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम बूढकरवर तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी–राज0।
..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 228/प्रार्थना पत्र/02 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा बनाम रतनलाल आ0 हरपाल जाति मीणा नि0 बढकरवर मे पारित निर्णय दिनांक 11.11.2002 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 17.6.1999 को ग्राम बूढकरवर तह0 नैंनवा की आराजी ख0 नं0 88 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था जिसे तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14(4) को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर आवंटन खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन बाद जांच पूर्ण कानूनी प्रकिया अपना कर किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई रेकार्ड उपलब्ध नही था। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार की तारीफ मे आने से उसको भूमि का आवंटन किया जाकर भूमि पर कब्जा दिया गया तब से अपीलांट भूमि पर काबिज है। अन्य व्यक्ति का कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने महज रेस्पो0 के जबानी कथन को स्वीकार करते हुये अपीलांट के पक्ष मे हुये आवंटन को खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट का उक्त आराजी पर काफी पुराना कब्जा काश्त था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना है। उक्त आराजी अपीलांट के परिवार की आय का एकमात्र साधन है यदि अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट के सामने भूखों मरने की नौबत आ जावेगी। जेरअपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 12.2.2015 को पटवारी हल्का द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने तथा उसका आवंटन खारिज होने की बात कहने पर होने पर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई। अतः डिले कन्डोन किया जाकर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दि0 11.11.2002 अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष मे हुये आवंटन को बहाल रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी भूमिहीन होने से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। आवंटी के पास गुजर बसर करने हेतु अन्य कोई साधन नही है। भूमि आवंटन मे कोई अनियमितता नही हुई है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त कर आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे व्यक्त किया कि आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा है। आवंटित भूमि के संबध मे सम्पूर्ण जांच नही की। आवंटी का आवंटन विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से अपील खारिज योग्य है।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पेश कर वर्णित किया कि जेरअपील निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 12.2.2015 को पटवारी हल्का द्वारा आवंटन निरस्त होने तथा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर हुई। रेस्पो0 *राजकीय अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र मे उक्त उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया तथा ना* ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील *पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य करते हुये अपील को अवधि मध्य माना जाता है।*

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम बूढकरवर की भूमि ख0 नं0 88 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.6.99 को अपीलांट को आवंटित की गई है। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से तहसीलदार नैनवा द्वारा आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) का न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी के यहां पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 11.11.02 से स्वीकार कर आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होने व सम्पूर्ण जांच नही कर विवादित भूमि का आवंटन कर दिये जाने से लिटिगेशन बढने की पूर्ण संभावना होना वर्णित करते हुये वादग्रस्त आराजी का आवंटन निर्णय दिनांक 11.11.2002 से निरस्त किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि आवंटन कमेटी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट को नियमानुसार किया गया है जिसमें कोई अनियमितता

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

नही है। परिवार का गुजर बसर करने हेतु अन्य कोई साधन नही है। अपीलांट के तर्क के संबध मे आवंटन आदेश दिनांक 17.6.99 तथा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 11.11.2002 तथा पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मे पटवारी हल्का द्वारा की गई बिन्दू सं0 1 लगायत 7 की टिप्पणी/पूर्ति की है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण तथ्यों की जांच की अपीलार्थी भूमि के आवंटन का पात्र होने से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि का आवंटन किया गया है। अतः रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता का यह तर्क कि भूमि की सम्पूर्ण जांच नहीं की तथा अन्य व्यक्ति का कब्जा होने से लिटिगेशन बढने की पूर्ण संभावना है आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट को पात्र मानते हुये आवंटन विधि पूर्वक किया गया था ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलांट का आवंटन निरस्त करने से तथा उसको जमीन से बेदखल करने से न्याय के साथ कुठाराघात होगा जैसा कि आरआरडी 1993 पेज 516 मे प्रतिपादित किया गया है। आरआरडी 1996 पेज 234–236 मे यह भी प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन तिथी को अतिक्रमियों के कब्जे के आधार पर आंवटी के आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता। अतः उपरोक्त तथ्यों एंव न्यायिक नजीरों के आलोक मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 11.11.2002 पूर्ण रूप से गलत, अनुचित, खिलाफ़ कानून दिया गया निर्णय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय दिनांक 11.11.2002 पारित किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा मिसल सं0 228/प्रा0 पत्र/02 मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 11.11.2002 अपास्त किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि का अपीलांट को दिनांक 17.6.99 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 22.2..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/2/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा